आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, खगड़िया

ज्माबंदी रद्दीकरण वाद सं0– 129/2021

अंचल अधिकारी, खगड़िया...................................वादी

बनाम

रामविलाश मोची..........................प्रतिवादी

आदेश

5.11.2021 प्रस्तुत वाद अंचल अधिकारी खगड़िया के पत्रांक 4346 दिनांक. 19.09.2021 एवं उसके साथ संलग्न जमाबंदी रद्दीकरण वाद संख्या 05/21–22 के आदेशफलक के आलोक में संधारित किया गया। प्रस्तुत वाद में प्रश्नगत भूमि का विवरण निम्नवत है:–

मौजा	रैयत	थाना सं0	तौजी	जं0 सं0	खाता	खेसरा	रकवा	वाद सं0
धुसमुरी विशनपुर	रामविलास मोची, पे0– अघनु मोची	253	561	38	212	1108	0–0–15	374/74–75

आवेदक अंचल अधिकारी, खगड़िया उल्लेखित किये हैं कि प्रश्नगत भूमि की प्रकृति गैरमजरूआ खास है जिसके लिये अनियमित रूप से जमाबंदी संख्या 38 का गठन कर लिया गया है। अतः उन्होंने जमाबंदी संख्या 38 को रद्द करने की अनुशंसा किये हैं। राजस्व कर्मचारी ने प्रतिवेदित किया है कि जमाबंदी संख्या 38 के रैयत के उत्तराधिकारी मौजूद नहीं है। अतः जमाबंदी रैयत के किसी उत्तराधिकारी का उपस्थित होना संभव नहीं है।

वाद के समुचित निष्पादन के लिये राजस्व कर्मचारी से विस्तृत जांच प्रतिवेदन भी प्राप्त किया गया जो अभिलेखबद्ध है। अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन का विवेचन निम्न प्रकार है:–

1. अभिलेख पर उपलब्ध खतियान की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि गैरमजरूआ खास है तथा कैफियत मकानमय सहन की जमीन है। जिसमें राजस्व कचहरी एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग की जमीन है।
2. राजस्व कर्मचारी ने विस्तृत जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि जमाबंदी संख्या 38 किस जमाबंदी से खारिज होकर बना है। यह पंजी 2 में दर्ज नहीं है तथा वर्ष 1978 के बाद से लगान रसीद निर्गत नहीं है तथा जमाबंदी में दर्ज खेसरा 1108 अलग से जोड़ा गया है। चूंकि वादी अंचल अधिकारी के तरफ से जमाबंदी पंजी पर अंकित प्राधिकार जिसमें कहा गया है कि प्रश्नगत जमाबंदी वाद संख्या 374/77–78 के अनुसार ही और उक्त वाद संख्या 374/77–78 अभिलेख न्यायालय द्वारा मांग करने के बावजूद भी नहीं प्रस्तुत किया गया है। इसलिये इसमें प्रभारी अंचल कर्मी एवं हल्का कर्मचारी की संलिप्ता प्रकट होती है जो अलग से जांच का विषय है।
3. जमाबंदी संख्या 38 के पंजी 2 के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि जमाबंदी संख्या 38 गैरमजरूआ खास भूमि के लिये अनियमित रूप से गठित है।

आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

4. चूंकि इस जमाबंदी में एक ही खेसरा विवरण है जो खेसरा संख्या 1108 रकवा 0—0—15 है तथा जमाबंदी क्रमांक 38 है जो कि मौलिक भोलूम की जमाबंदी होने की स्थिति को बतलाता है। और इसके प्राधिकार में इसे वाद संख्या 374/77—78 के अनुसार गठित होना दर्ज है जो स्पष्टतः अनियमितता को प्रमाणित करता है वैसे भी इस जमाबंदी में एक लगान रसीद जिसका निर्गत होने की तिथि 29.03.1975 अंकित किया गया है। इस जमाबंदी को हस्यास्पद/एवं अनियमित होना प्रमाणित करता है क्योंकि प्राधिकार के अनसुार इस जमाबंदी का गठन भी 77—78 मे किया गया है तो फिर 29.03.1975 को लगान रसीद कैसे निर्गत हुई।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम की धारा 9 आकर्षित होती है। अतः मौजा–धुसमुरी विशनपुर में गठित जमाबंदी संख्या 38 को खंडित किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी खगड़िया को अनुपालनार्थ भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता
खगड़िया।

अपर समाहर्त्ता
खगड़िया।

डी० पी० सं० 586 दिनांक 5/11/21
प्रतिलिपि - अंचल अधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं उपर्युक्त आदेश का अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि - N.I.C. खगड़िया को वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

5/11/21
प्रभारी पदाधिकारी
जिला राजस्व शाखा
खगड़िया।